



आक्रामक वदिशी प्रजातियाँ

∟



आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ, ऐसी गैर-स्थानिक प्रजातियाँ हैं, जिन्हें उनके प्राकृतिक आवास के बाहर लाया गया है, जो आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करते हैं।

📌 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अनुसार

- ऐसी प्रजातियाँ, जो भारत की स्थानिक नहीं हैं और जिनके प्रसार से वन्यजीवों या उनके आवास पर संकट या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है
- इसमें जानवर, पौधे, कवक और सूक्ष्मजीव भी शामिल हैं

📌 विशेषताएँ

- प्राकृतिक या मानवीय हस्तक्षेप के माध्यम से प्रवेश
- देशी खाद्य संसाधनों पर जीवित रहना
- तीव्र गति से पुनरुत्पादन करने की क्षमता
- संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धा में देशी प्रजातियों के लिये संकट उत्पन्न करना

📌 वैश्विक स्तर पर आक्रामक प्रजातियाँ

"IUCN की रेड लिस्ट में शामिल 10 में से 1 प्रजाति को आक्रामक प्रजातियों से खतरा है"

- **जलकुंभी:** उच्च वैश्विक भूमि आक्रामक प्रजाति
- **लैंटाना और ब्लैक रैट:** दूसरे और तीसरे सबसे व्यापक आक्रामक प्रजातियाँ

अफ्रीकी कैटफिश, नील तिलापिया, रेड-बेलिड पिरान्हा और एलीगेटर गार भारत में आक्रामक वन्यजीवों की सूची में प्रमुख हैं।

- 📌 'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच' (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) 2023 रिपोर्ट: विश्व भर में 37,000 स्थापित विदेशी प्रजातियाँ, सालाना 200 नई प्रजातियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।

आक्रामक प्रजातियाँ	प्रभाव
अफ्रीकी कैटफिश (Clarias gariepinus)	राजस्थान के केवलादेव पार्क में जलपक्षी और प्रवासी पक्षियों का शिकार, जो यूनेस्को स्थल है
रफ कॉकलेबर (Xanthium strumarium)	सोयाबीन, कपास, मक्का आदि जैसी कृषि क्षेत्र की फसलों के लिये गंभीर संकट।
कॉटन मिलीबग (Phenacoccus solenopsis)	दक्कनी कपास की फसल में गंभीर उपज हानि का कारण है
विलायती कीकर (Prosopis juliflora)	मैक्सिकन आक्रामक प्रजातियाँ, दिल्ली रिज (Delhi Ridge) पर प्रभावी हैं, जो एकमात्र समृद्ध वनस्पति को गंभीर नुकसान पहुँचा रही हैं।
यूकेलिप्टस	भारतीय शासक टीपू सुल्तान ऑस्ट्रेलियाई यूकेलिप्टस को भारत में लाए, यह गैर-आक्रामक लेकिन एलीलोपैथी प्रजाति है, जो देशीय प्रजातियों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है।
सुबाबुल (River tamarind)	ईधन और चारे के रूप में, जो भूजल स्तर में कमी के लिये ज़िम्मेदार है

आक्रामक प्रजातियों के प्रबंधन से संबंधित पहल

📌 वैश्विक:

- वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (1975)
- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (1979)
- जैविक विविधता पर अभिसमय (1992)
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता ढाँचा (2022)

📌 भारत:

- पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003
- राष्ट्रीय जैव-विविधता कार्य योजना (2008) (लक्ष्य 4)
- आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPINVAS) (2021-25)



Drishti IAS

और पढ़ें: [आक्रामक विदेशी प्रजातियों का खतरा](#)

